राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 101/2025

रूस्तमा राम ढाका **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, (भू–अभिलेख), चुरू।
3. तहसीलदार (भू–अभिलेख), सुजानगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री रोहितांश सिंह राठौड़, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान मे भू–राजस्व निरीक्षक के पद पर वृत्त कानूता (Kanuta) तहसील सुजानगढ जिला चुरू में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त लोहा तहसील रतनगढ में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की तीन पुत्रियां है, सभी पुत्रियां मानसिक रोग की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है और उनका निरन्तर ईलाज चल रहा है (अनुलग्नक–6 से 9)। वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 के बिन्दु संख्या 10 में यह प्रावधान है कि:–

> ''10. अगर कार्मिक स्वयं अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा आश्रित बच्चे गम्भीर बीमारी यथ– कैंसर, एड्स, हृदय रोग, क्षय रोग, हैपेटाईटिस–बी, थैलीसीमिया रोग, मनोरोग से पीडित है, तो सम्बंधित चिकित्सालय के अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी अथवा राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य के

प्रमाण पत्र एवं अभिशंषा के आधार पर इच्छित स्थान (विभाग/कार्यालय नहीं) पर पदस्थापित किया जा सकेगा।''

3. इसके बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त लोहा तहसील रतनगढ के द्वारा कर दिया जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावें। जो राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–5) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।
4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि
5. अपीलार्थी वर्तमान मे भू–राजस्व निरीक्षक के पद पर वृत्त कानूता (Kanuta) तहसील सुजानगढ जिला चुरू में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त लोहा तहसील रतनगढ में किया गया है।
6. अनुलग्नक–6 से 9 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की तीन पुत्रियां है, सभी पुत्रियां मानसिक रोग की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है। वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 के बिन्दु संख्या 10 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कार्मिक स्वयं अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा आश्रित बच्चे गम्भीर बीमारी यथ– कैंसर, एड्स, हृदय रोग, क्षय रोग, हैपेटाईटिस–बी, थैलीसीमिया रोग, मनोरोग से पीडित है, तो सम्बंधित चिकित्सालय के अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी अथवा राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रमाण पत्र एवं अभिशंषा के आधार पर इच्छित स्थान (विभाग/कार्यालय नहीं) पर पदस्थापित किया जा सकेगा।''
7. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 1 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत

अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 3 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–5) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

8. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
9. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य